पर्यावास अधिकार और इसके निहितार्थ

प्रिलिम्स के लिये:

जनजातीय अधिकार और निहितार्थ, बैगा जनजाति, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG), भारिया एवं कमार जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

मेन्स के लिये:

जनजातीय अधिकार और निहितार्थ प्रदान करना, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमज़ोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का प्रदर्शन।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अगस्त 2023 में कमार **PVTG** को आवास अधिकार प्राप्त होने के ठीक बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके बैगा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह **(Particularly Vulnerable Tribal Group- PVTG)** को आवास अधिकार प्रदान किये हैं।

- बैगा PVTG छत्तीसगढ़ में ये अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है।
- छत्तीसगढ़ में सात PVTG (कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबूझमाड़िया, बिरहोर, पंडो और भुजिया) हैं।

बैगा जनजाति:

- बैगा (जादूगर) जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहती है।
- परंपरागत रूप से बैगा अर्द्ध-खानाबदोश जीवन जीते थे और झूम कृषि (जिसे ये बेवर या दहिया कहते हैं) करते थे, किंतु अब ये आजीविका के लिये मुख्य रूप से लघु वनोत्पाद **(Minor Forest Produce-MFP)** पर निर्भर हैं।
    - इनका प्राथमिक वन उत्पाद बाँस है।
- गोदना (टैटू) बैगा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, प्रत्येक आयु और शरीर के अंग पर इस अवसर हेतु एक विशिष्ट टैटू आरक्षित है।

पर्यावास अधिकार:

- **परिचय:**
    - पर्यावास अधिकार संबंधित समुदाय को उनके **निवास के पारंपरिक क्षेत्र,** सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका के साधनों, जैवविविधता और पारिस्थितिकी के बौद्धिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ **उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण** पर अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।
    - पर्यावास अधिकार पीढ़ियों से चले आ रहे **पारंपरिक, आजीविका देने वाले और पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा एवं प्रचार करते हैं।** वे PVTG समुदायों को उनके आवास स्थान विकसित करने हेतु सशक्त बनाने के लिये **विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की पहलों को एकजुट करने में भी सहायता करते हैं।**
        - **वन अधिकारों की मान्यता (Recognition of Forest Rights- FRA) के अनुसार, "आवास" में प्रथागत आवास और विशिष्ट रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) तथा अन्य वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं।**
    - भारत में 75 PVTG में से **केवल तीन जनजातियों के पास आवास अधिकार हैं- पहले मध्य प्रदेश में,** उसके बाद कमार जनजाति और अब छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति।

- **पर्यावास घोषति करने की प्रक्रयिा:**
  - यह प्रक्रयिा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में इस उद्देश्य के लयि दयि गए एक वसि्तृत दशिानरि्देश पर आधारति है।
  - इस प्रक्रयिा में संस्कृत, परंपराओं और व्यवसाय की सीमा नरि्धारति करने के लयि **पारंपरकि आदवािसी नेताओं के साथ परामर्श करना** शामलि है।
  - आवासों को परभिाषति करने और उनकी घोषणा करने के लयि वन, राजस्व, जनजातीय एवं पंचायती राज सहति राज्य-स्तरीय वभिागों एवं UNDP टीम के बीच समन्वय आवश्यक है।
- **वैधानकिता:**
  - **अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरकि वन नविासी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियिम, 2006** (जसि FRA के रूप में भी जाना जाता है) की धारा 3(1)(e) के तहत PVTG को आवास अधकिार प्रदान कयि जाते हैं।
  - पर्यावास अधकिारों की मान्यता PVTG को उनके पारंपरकि क्षेत्र पर अधकिार प्रदान करती है, जसिमें नविास के लयि उपयोग कयि जाने वाले क्षेत्र, नरि्वाह के साधन तथा जैव-ववििधिता की समझ शामलि है।

PVTG की पहचान:

- PVTG की पहचान **तकनीकी पछिड़ेपन**, स्थरि अथवा घटती जनसंख्या वृद्ध, **अल्प साक्षरता स्तर**, नरि्वाह अर्थव्यवस्था और चुनौतीपूर्ण जीवन स्थतियिों जैसे मानदंडों के आधार पर की जाती है।
- **आजीवकिा, शक्षिा, पोषण और स्वास्थ्य** जैसे मामलों में वे असुरक्षति हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 18 राज्यों और एक केंद्र शासति प्रदेश में 75 PVTG की पहचान की गई है।
- वर्ष 1973 में **ढेबर आयोग** ने **आदमि जनजात समूह (PTG)** को एक वशिष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कयिा, जो अन्य जनजातीय समूहों के बीच अल्प वकिसति हैं। वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा PTG का नाम बदलकर PVTG कर दयिा गया।

पर्यावास अधकिार का महत्त्व:

- **संस्कृत और वरिासत का संरक्षण:**
  - जनजातीय अधकिार प्रदान करने से जनजातीय समुदायों की अद्वतिीय सांस्कृतकि, सामाजकि और पारंपरकि वरिासत को संरक्षति करने में सहायता मलिती है। यह उन्हें अपनी **वशिष्टि भाषाओं, रीत-रिवािज़ों, प्रथाओं एवं पारंपरकि ज्ञान को बनाए रखने** में सहायक के रूप में कार्य करता है।
- **सशक्तकिरण और सामाजकि न्याय:**
  - जनजातीय अधकिार इन समुदायों को वैधानकि मान्यता प्रदान करके, उनके जीवन को प्रभावति करने वाले नरि्णय लेने की प्रक्रयिाओं में उनकी भागीदारी सुनश्चिति करके तथा उन पर हुए अन्यायों का नवािरण कर सशक्त बनाते हैं। यह सशक्तकिरण एक ऐसे समाज के नरि्माण में मदद करता है जो अधकि न्यायसंगत और न्यायपूर्ण हो।
- **आजीवकिा की सुरक्षा:**
  - कई जनजातीय समुदाय अपनी आजीवकिा के लयि अपने प्राकृतकि परविश पर नरि्भर हैं। भूम और संसाधनों पर अधकिार देने से यह सुनश्चिति होता है क वि **शकिार, संग्रहण, मत्स्यन एवं कृष जैसे अपने पारंपरकि व्यवसायों को बनाए रख सकते हैं और अपनी आर्थकि भलाई का समर्थन कर सकते** हैं।
- **सतत् वकिास:**
  - जनजातीय समुदायों को अधकिार देकर सरकारें **सतत् वकिास को बढ़ावा** दे सकती हैं। स्वदेशी प्रथाएँ प्रायः स्थरिता और संरक्षण को प्राथमकिता देती हैं, जो पर्यावरण एवं समाज के समग्र कल्याण के लयि महत्त्वपूर्ण है।
- **जैवववििधिता का संरक्षण:**
  - जनजातीय समुदायों के पास प्रायः अपने स्थानीय पारस्थितिकिी तंत्र, वनस्पतयिों, जीवों और स्थायी संसाधन प्रबंधन के बारे में वशिष्टि ज्ञान होता है। उनके अधकिारों को पहचानने से **जैवववििधिता के संरक्षण और प्राकृतकि संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन में सहायता मलिती** है।

नष्किर्ष:

- जनजातीय अधकिार प्रदान करना एक अधकि समावेशी, न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लयि मौलकि है जहाँ जनजातीय समुदायों सहति सभी नागरकिों के अधकिारों, संस्कृतयिों व परंपराओं का सम्मान एवं सुरक्षा की जाती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/granting-habitat-rights-and-implications